न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 30.09.2024

जरिये ओम प्रकाश जोतड जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

मै0 सागर पारीक श्री गुरूकृपा स्वीट्स एण्ड नमकीन राधा दामोदर दास सर्किल के पास निवाई शहर जिला टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक 28.11.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी टोक बहमराह प्रवर्तन अधिकारीगण के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल के रूप में निवाई शहर में मैसर्स गुरूकृपा स्वीट्स एण्ड नमकीन, राधा दामोदर दास सर्किल पहुँचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री सागर पारिक द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 3 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1	778688–S	H.P.	14.2	15.0	28.6	13.6
2	C-33321	H.P.	14.2	15.9	18.7	2.8
3	413150	H.P.	14.2	15.9	20.6	4.7
						21.1

अतःउक्त जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 21.1 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी टोक बहमराह प्रवर्तन अधिकारीगण के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल के रूप में निवाई शहर में मैसर्स गुरूकृपा स्वीट्स एण्ड नमकीन, राधा दामोदर दास सर्किल पहुॅचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री सागर पारिक द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 3 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था।घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार श्री सागर पारिक द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना करना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। अतः 3 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

से सुरक्षित रखने हेतु समीर एच.पी. गैस एजेन्सी निवाई के प्रतिनिधि श्री मोहन सिंह निवासी शिव शक्ति नगर निवाई शहर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। श्री सागर पारिक द्वारा एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 21.1 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 20.09.2024 के अनुसार मै0 सागर पारीक श्री गुरूकृपा स्वीट्स एण्ड नमकीन राधा दामोदर दास सर्किल के पास निवाई शहर जिला टोंक की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 03 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर नमकीन/मिठाई बनाये जा रही थी। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1	778688–S	H.P.	14.2	15.0	28.6	13.6
2	C-33321	H.P.	14.2	15.9	18.7	2.8
3	413150	H.P.	14.2	15.9	20.6	4.7
						21.1

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर होटल/दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर रामअवतार,मोहनसिंह तथा हेमराज के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी रामअवतार,मोहनसिंह तथा हेमराज के हस्ताक्षर है तथा

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

समीर एच.पी. गैस एजेन्सी निवाई के प्रतिनिधि श्री मोहनसिंह के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने का कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 03 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 21.1 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)